रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082025-265189
CG-DL-E-02082025-265189

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947
No. 480]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 523(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगा।

2. वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में, पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. परिभाषाएं.-(1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 15क के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "अपीली प्राधिकारी" से सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 15ख के अधीन अपीलीय प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "निदेशक (चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय)" से इस आदेश के अधीन किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड.) "निदेशालय" से चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय अभिप्रेत है;

(च) "सूचना अनुसूची" से सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित सूचना अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ). "नोडल अधिकारी" से सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 2 के खंड (घक) में यथा परिभाषित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज). "उत्पादक" से किसी व्यक्ति या फर्म या कंपनी अभिप्रेत है, जो किसी वनस्पति तेल उत्पाद या किसी विलायक-निष्कर्षित वनस्पति तेल के उत्पादन के कारबार में, या तो अपने कारखाने में या उसके निमित कार्यरत किसी अन्य व्यक्ति के कारखाने में लगा हुआ है;

(झ). "रजीस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" से इस आदेश के पैरा 4 के अधीन किसी उत्पादक को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है।

(ञ) "अनुसूची" से इस आदेश के साथ उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ट) "वनस्पति तेल" से खली या तिलहन या पादप मूल की तेलयुक्त सामग्री से उत्पादित तेल अभिप्रेत है और जिसमें ग्लिसराइड्स होते हैं;

(ठ) "वनस्पति तेल उत्पाद" से कोई भी वनस्पति तेल अभिप्रेत है, जो अपने कच्चे रूप में हो, या जिसे किसी प्रक्रिया जैसे कि निस्पंदन, अपकेंद्रण, शोधन (सामान्यीकरण सहित, विरंजन अर्थ का उपयोग करके विरंजन और दुर्गन्धीकरण), इंटरस्ट्रिफिकेशन, हाइड्रोजनीकरण, प्रभाजन, शीत ऋत्वन, जल के साथ पायसीकरण या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य प्रक्रिया, समिश्रित (दो या अधिक विभिन्न प्रकार के वनस्पति तेलों का मिश्रण) के अधीन किया गया हो;

(2) इस आदेश में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) या खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः यथास्थिति उस अधिनियम या नियमों या विनियमों, में दिए गए हैं।"

3. उक्त आदेश में, पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-"3. रजिस्ट्रीकरण.-(1) कोई उत्पादक, जो वनस्पति तेल, वनस्पति तेल उत्पाद, विलायक निष्कर्षित तेल का उत्पादन, विक्रय हेतु स्टॉक या विक्रय हेतु प्रस्ताव करने का आशय रखता है, उसे अनुसूची-1 में यथाविनिर्दिष्ट निदेशक (चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय) को आवेदन करना होगा और अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

(2) निदेशक (चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय) आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, आवेदकों को अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं या कारणों को लेखबद्ध करके आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं।

4. उक्त आदेश के पैरा 4 में,-

(क) "वितैलित अवचूर्ण या खाने योग्य आटा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) "खंड", शब्द के स्थान पर "पैरा" शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त आदेश में, पैरा 5 में, "मुख्य निदेशक" शब्दों के स्थान पर "निदेशक (चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

6. उक्त आदेश में, पैरा 6 में, दोनों स्थानों पर आने वाले "खंड" शब्द के स्थान पर "पैरा" शब्द रखा जाएगा।

7. उक्त आदेश में, पैरा 8 में, "मुख्य निदेशक" शब्दों के स्थान पर "निदेशक (चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

8. उक्त आदेश में, पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9. प्रत्येक उत्पादक, उत्तरवर्ती मास की पंद्रहवीं तारीख तक निदेशक (चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय) को निम्नलिखित के संबंध में मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा-

(क) प्रसंस्करण इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में प्राप्त और प्रयुक्त प्रत्येक वनस्पति तेल तथा पिछले एक मास के दौरान समय-समय पर निदेशक (चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय) द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में विनिर्मित, विक्रय किया गया, आयातित या निर्यातित प्रत्येक वनस्पति तेल उत्पाद;

(ख) पूर्ववर्ती एक मास के दौरान उसके द्वारा धारित स्टॉक और निष्कर्षित विलायक तेल, उत्पादित या प्रेषित तेल की मात्रा और किस्में;

(ग) पूर्ववर्ती एक मास के दौरान धारित स्टॉक तथा प्रयुक्त तेल-युक्त सामग्री की मात्रा और किस्में।"

9. उक्त आदेश में, पैरा 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"10. सूचना मांगने, प्रविष्टि करने तथा निरीक्षण करने की शक्ति- निदेशक (चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय) या नोडल अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी परिसर में प्रवेश कर निरीक्षण कर सकता है या प्रवेश करा सकता है तथा वनस्पति तेल उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, आयात और निर्यात से संबंधित किसी भी अभिलेख, जिसमें उनके उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल की खरीद भी शामिल है, वाहनों या जलयानों का निरीक्षण कर सकता है तथा वनस्पति तेल उत्पादों के स्टॉक को जब्त कर सकता है, जिसके संबंध में उसे ऐसा विश्वास है कि वास्तविक उत्पादन या बिक्री का मूल्य निदेशालय में फाइल की गई विवरणी और आंकड़ों के अनुरूप नहीं है तथा प्रत्येक उत्पादक निदेशक, (चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय) को ऐसी सभी जानकारी देने के लिए बाध्य होगा।"

10. उक्त आदेश में, पैरा 11 के, उप-पैरा (2) का लोप किया जाएगा।

11. उक्त आदेश में, पैरा 12 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"12. आदेशों का अनुपालन – प्रत्येक उत्पादक, जिसे इस आदेश द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी भी शक्ति के अधीन कोई आदेश या निदेश जारी किया जाता है, ऐसे आदेश या निदेश का अनुपालन करेगा।"

12. उक्त आदेश में, "अनुसूची-1" के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची-1

[पैरा 3(1) देखिए]

वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

निदेशक महोदय,
चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय,
पाँचवीं मंजिल, ई विंग, कृषि भवन,
नई दिल्ली-110001

महोदय,

मैं/हम ………………… (आवेदक का नाम और पता) अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे/हमें वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

1. (क) इकाई का नाम और पता (स्थान):

जिला: ________________ राज्य: _________________पिन__________________

(ख) प्रधान कार्यालय या प्रशासनिक कार्यालय का पता:

जिला: ________________ राज्य: _________________पिन__________________

2. विनिर्माण की वस्तु और वार्षिक स्थापित क्षमता:

क्र. सं	वनस्पति तेल उत्पाद	विनिर्माण इकाई की स्थापना की तारीख	वार्षिक स्थापित क्षमता (टन में)

3. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति संख्या:

(संलग्न की जाने वाली प्रतिलिपि)

4. संयंत्र और मशीनरी का विवरण: (पृथक शीट संलग्न करें, यदि अपेक्षित हो)

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त कथन मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं/हम एतद्वारा वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 के सभी उपबंधों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं।

हस्ताक्षर
नाम
पता
फ़ोन नंबर
ई-मेल

(आवेदक की पूरी विशिष्टियां अर्थात नाम और पदनाम आदि बड़े अक्षरों में)."

13. उक्त आदेश में, "अनुसूची-2" के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची -2

[पैरा 3(2) देखिए]

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री .... इस निदेशालय में वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं तथा उन्हें नीचे उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण संख्या आवंटित की गई है:

संख्या.. तारीख...........................

निम्नलिखित उत्पादों के विनिर्माण हेतु .... स्थित कारखाने के लिए:

मद वार्षिक स्थापित क्षमता (टन में)

(i)

(ii)

(iii)

तारीख:

(........................)

निदेशक".

14. उक्त आदेश में अनुसूची-3 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 25/01/2018/-ओआईएल]

ऐलिस टेटे, निदेशक

टिप्पण: वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 664(अ), तारीख 7 सितंबर, 2011 द्वारा प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 1st August, 2025

G.S.R. 523(E).— In exercise of powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order to amend the Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Order, 2011, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This order may be called the Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Order, 2011 (hereinafter referred to as the said order), for paragraph 2,the following shall be substituted, namely:–"2. Definitions.-(1) In this order, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Essential Commodities Act, 1955(10 of1955);

(b) "adjudicating officer" means the officer appointed under section 15A of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009);

(c) "appellate authority" means the appellate authority under section 15B ofthe Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009);

(d) "Director (Directorate of Sugar and Vegetable Oils)" means such officer appointed by the Central Government to exercise any or all of the powers under this order;

(e) "Directorate" means the Directorate of Sugar and Vegetable Oils;

(f) "information schedule" means information schedule as defined in clause (d) of section 2 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009);

(g) "nodal officer" means officer as defined in clause (da) of section 2 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009);

(h) "producer" means a person or firm or company engaged in the business of producing any vegetable oil product or any solvent-extracted vegetable oil, either in his own factory or in the factory of any other person, acting on his behalf;

(i) "registration certificate" means the registration granted to a producer under paragraph 4 of this order.

(j) "Schedule" means Schedule annexed to this order;

(k) "vegetable oil" means oil produced from oilcake or oilseed or oil-bearing material of plant origin and containing glycerides;

(l) "vegetable oil product" means any vegetable oil in its crude form, or subjected to any process like filtration, centrifugation, refining (including neutralisation, bleaching using bleaching earths and deodorisation), interestrification, hydrogenation, fractionation, winterisation, emulsification with water or any other process notified by the Government from time to time, blended (blends of two or more different types of vegetable oils);

(2) Words and expressions used but not defined in this order and defined in the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) or the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) or rules or regulations made thereunder, shall have the meanings assigned to them in that Act or rules or regulations, as the case may be, respectively".

3. In the said order, for paragraph 3, the following shall be substituted, namely:–

"3.Registration.-(1) A producer who intends to produce, stock for sale or offer for sale vegetable oil, vegetable oil product, solvent extracted oil, shall make an application to the Director (Directorate of Sugar and Vegetable Oils) as specified in Schedule-I and obtain a registration certificate as specified in Schedule-II.

(2) The Director (Directorate of Sugar and Vegetable Oils)may after making necessary enquiries, as he deems fit, issue the registration certificate, as specified in Schedule-II to the applicants or reject the application, for reasons to be recorded in writing".

4. In the said order, in paragraph 4,-

(a) the words“,de-oiled meal or edible flour” shall be omitted;

(b) for the word “Clause”, the word “paragraph” shall be substituted.

5. In the said order, in paragraph 5,for the words, “Chief Director”, the words and brackets “Director (Directorate of Sugar and Vegetable Oils)"shall be substituted.

6. In the said order, in paragraph 6, for the word “Clause”, occurring at both the places, the word “paragraph” shall be substituted.

7. In the said order, in paragraph 8, for the words and brackets “Chief Director”, the words “Director (Directorate of Sugar and Vegetable Oils)" shall be substituted.

8. In the said order, for paragraph 9, the following shall be substituted, namely:-

“9. Every producer shall furnish monthly return by the fifteenth day of the succeeding month to the Director (Directorate of Sugar and Vegetable Oils)in respect of-

(a) each vegetable oil received and used by the processing unit as raw material and each vegetable oil product manufactured, sold or imported or exported during the past one month in a form specified by the Director (Directorate of Sugar and Vegetable Oils) from time to time;

(b) the stocks heldand the quantities and varieties of solvent extracted oil, produced or dispatched by him during the preceding one month;

(c) the stocks held and the quantities and varieties of oil-bearing material used during the preceding one month”.

9. In the said order, for paragraph 10, the following shall be substituted,namely:-

“10. Power to call for information and entry and carry out inspection.- The Director (Directorate of Sugar and Vegetable Oils) or nodal officer or any person appointed by them may enter and inspect or cause to enter and inspect any premises, any record relating to the production, supply, distribution, import and export of vegetable oil products including the purchase of raw materials used in their production, vehicles or vessels and seize the stocks of vegetable oil products, in respect of which he has reason to believe that the value of actual production or sale are not commensurate with the returns and the data filed with the Directorate and every producer shall be bound to furnish all such information to the Director, (Directorate of Sugar and Vegetable Oils)”.

10. In the said order, in paragraph 11, sub-paragraph (2) shall be omitted.

11. In the said order, for paragraph 12, the following shall be substituted, namely:-

“12. Compliance of orders. –Every producer to whom any order or direction is issued under any powers conferred by or under this order, shall comply with such order or direction”.

12. In the said order, for "SCHEDULE–I", the following shall be substituted,namely:-

“ SCHEDULE-I

[*See*paragraph 3(1)]

Application for registration under the Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Order, 2011.

To The Director,

Directorate of Sugar and Vegetable Oils,

5th floor, E wing, KrishiBhawan,

New Delhi-110001

Sir,

I/we ………………… (Name and address of the applicant) request that I/We may be registered under the Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Order, 2011.

1. (a) Name and address (location) of the Unit:

District: ________________ State: _________________PIN__________________

(b) Address of Head office or Administration office:

District: ________________ State: ________________ PIN________________

2. Item of manufacture and annual installed capacity:

Sl. No.	Vegetable oil product	Date of installation of manufacturing unit	Annual installed capacity in metric tonnes

3. Registration or License number under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006):

(Copy to be enclosed)

4. Details of plant and machinery : (attach separate sheet if required)

I/We hereby certify that the above statement is true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We hereby undertake to comply with all the provisions of the Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Order, 2011.

Signature
Name
Address
Tel No.
Email

(Full particulars of the applicant that isname and designation etc. in block letters)."

13. In the said order, for"SCHEDULE – II", the following shall be substituted, namely:-

" SCHEDULE-II

[*See* paragraph 3(2)]

Government of India

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

(Department of Food and Public Distribution)

Directorate of Sugar and Vegetable Oils

Registration Certificate

This is to certify that Ms...is here by registered under the Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Order, 2011 with this Directorate and is allotted the below mentioned Registration Number:

No. ……………………………………… Date………………………

For the factory located at…………………………for manufacture of the following products:

ltem	Annual installed capacity (in Metric Tonnes)
(i)	
(ii)	
(iii)	

Dated:

(……………………)
Director".

14. In the said order, SCHEDULE-III shall be omitted.

[F. No. 25/01/2018/-OIL]
ALICE TETE, Director

Note: The Vegetable Oil Products Production and Availability (Regulation) Order, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 664(E), dated the 7th September, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2025.08.02 16:16:35 +05'30'